राज्य स्कीम की राशि

3/यो0-30/2017(खण्ड)

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश

(संख्या /2019-20) 51

प्रेषक,

विजय रंजन,
संयुक्त निदेशक (मु0),

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 07-08-2019

विषय : **वित्तीय वर्ष 2019-20 में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना अन्तर्गत विभिन्न घटकों सहित रूपये 4154.00 लाख (एकतालीस करोड़ चौवन लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत महिलाओं एवं किशोरियों का सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण, उद्यमिता विकास तथा उनके जीवन में गुणात्मक सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना संचालित है। वितीय वर्ष 2019-20 में इस योजना अन्तर्गत कुल 6200.00 लाख रूपये का उदव्यय प्राप्त है। वित विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 256/वि0 दिनांक 26.02.2019 के आलोक में प्राप्त कुल उदव्यय का सिर्फ 33 प्रतिशत ही राशि व्यय करने के निदेश के आलोक में मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के विभिन्न घटकों सहित कुल 2046.00 लाख (बीस करोड़ छियालिस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति स्वीकृत्यादेश संख्या 25 दिनांक 08.04.2019 द्वारा प्रदान की गयी थी। पुनः वित विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 732/वि0 दिनांक 31.07.2019 के आलोक में शेष **4154.00 लाख (एकतालीस करोड चौवन लाख)** की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है:-

रूपये लाख में

क्र0	योजना का नाम	विषय शीर्ष	विपत्र कोड	योजना उदव्यय	पूर्व में कुल योजना उदव्यय के 33% स्वीकृत राशि	वर्तमान/शेष वर्ष के लिए कुल योजना उदव्यय का 67% स्वीकृत राशि
1	मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना	0110-31-06	51-2235021030110	4050.00	1336.50	2713.50
2	मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना-विशेष घटक	0108-31-06	51-2235027890108	2150.00	709.50	1440.50
कुल योग :- 4154.00 लाख (एकतालीस करोड़ चौवन लाख) मात्र				**6200.00**	**2046.00**	**4154.00**

2. स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, बिहार, पटना है। निदेशक, समाज कल्याण इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना राशि की निकासी कर बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम, बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध समाज कल्याण निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998, 3758/वि0 दिनांक-31.05.2017 378/वि0 दिनांक-16.01.2018, 354/वि0 दिनांक-28.03.2018, 256/वि0 दिनांक 26.02.2019, 732/वि0 दिनांक 31.07.2019 एवं समय-समय पर निर्गत अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0-3/यो0-30/2017(खंड) के टिप्पणी पृ0-25/टि0 पर दिनांक-05.08.2019 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति इस शर्त के साथ दी गयी है कि निकासी के 18 माह के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार तथा नियंत्री पदाधिकारी को समर्पित करेंगे एवं इस राशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए आवंटन प्राप्त है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका सं0-3/यो0-30/2017(खंड) के टिप्पणी पृ0-26/टि0 पर दिनांक-06.08.2019 को माननीय विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

6/8/19

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु0)

ज्ञापांक- : 3/यो0-30/2017खण्ड/ 51 पटना-15, दिनांक- 07-08-2019

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण विभाग(बजट शाखा)/निदेशक, समाज कल्याण, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, निदेशक, आई0सीडी0एस0, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय/लेखा-शाखा, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/8/19

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु0)

ज्ञापांक- : 3/यो0-30/2017खण्ड/ 51 पटना-15, दिनांक- 07-08-2019

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना तथा सभी जिला कोषागार पदाधिकारी एवं सभी उप कोषागार पदाधिकारी तथा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

6/8/19

(विजय रंजन)

संयुक्त निदेशक (मु0)